भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1353
सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण,1943(शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

1353. श्री संजय जाधवः
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) महाराष्ट्र में उक्त योजना के तहत अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(ग) महाराष्ट्र में अब तक, विशेषरूप से यवतमाल-वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) अब तक निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) उक्त योजना के तहत राज्य में लक्षित लाभार्थियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार वर्ष 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है और अनौपचारिक कामगारों को भी औपचारिक कार्यबल में लाना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से 15,000/- से कम अथवा उसके बराबर कमाने वाले नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लाभ मिलता रहेगा।

(ख): पीएमआरपीवाई योजना के आरंभ से नवम्बर, 2021 तक महाराष्ट्र में 1484.49 करोड़ रुपए की राज-सहायता का संवितरण किया गया है।

(ग): महाराष्ट्र में 21.69 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया, जिसमें यवतमाल में 2567 और वाशिम में 88 शामिल हैं।

(घ): इस योजना से 20 लाख लाभार्थियों को लाभ होने का अनुमान था। 27 नवम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार 1.53 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

(ड.): योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया के विभिन्न माध्यमों,जिसमें ईपीएफओ की वेबसाइट भी शामिल है, के माध्यम से अभियान चलाया गया था। इसके अलावा, नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक सेमिनार और बैठकें भी आयोजित की गईं।

*****